Regional office
**Rajasthan State Pollution Control Board**
Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)
Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone no : 0294-2491269

Dated : 25.7.23

No.: RPCB/RO U/UDR/ 676

To,
**The State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA)**
**Rajasthan, Room No. 5221, Main Building,**
**Govt. Secretariat,**
**Jaipur, Rajasthan**

Sub:- Regarding minutes of public hearing dtd. 28-06-2023 for Environmental Clearance of **M/s Airports Authority of India (Maharana Pratap Airport)** expansion of Terminal Building along with service area of Maharana Pratap Airport, Dabok, Udaipur by Construction of New Passenger Terminal Building along with service area at Dabok, Udaipur Airport by Airport Authority of India **N/v Dabok, Tehsil: Vallabhnagar, Dist-Udaipur.**

Ref:- कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर का पत्र क्रमांक प.39/2(6)राज./खनन/2023/1348 दिनांक 18.05.2023।

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 28-06-2023 for Environmental Clearance of **M/s Airports Authority of India (Maharana Pratap Airport)** expansion of Terminal Building along with service area of Maharana Pratap Airport, Dabok, Udaipur by Construction of New Passenger Terminal Building along with service area at Dabok, Udaipur Airport by Airport Authority of India **N/v Dabok, Tehsil: Vallabhnagar, Dist-Udaipur.**

A copy of attendance sheet, CD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Encl : As above

Yours Faithfully,
Sd/-
(Sharad Saksena)
Regional Officer

**Copy to:-**

1. The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.
2. Additional District Magistrate, Udaipur
3. Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur
4. **M/s Airports Authority of India (Maharana Pratap Airport, N/v Dabok, Tehsil-Vallabhnagar, District: Udaipur.**

Regional Officer

**भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा उदयपुर हवाई अड्डे पर घरेलू संचालन के लिए यात्री टर्मिनल भवन सहित सर्विस क्षेत्र एवं अन्य सम्बंधित अवसंरचनाओं के विस्तार हेतु जनसुनवाई कार्यवृत दिनांक 28.06.2023को प्रातः 11:00 बजे राजीव गाँधी सेवा केंद्र के समीप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम–डबोक, तहसील–मावली, जिला उदयपुर (राजस्थान)**

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इण्ड़िया में दिनांक 27.05.2023 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 27.05.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा उदयपुर हवाई अड्डे पर घरेलू संचालन के लिए यात्री टर्मिनल भवन के विस्तार की परियोजना को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने करने हेतुग्राम–डबोक, तहसील–वल्लभगनर, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 754 करोड़ है।

अतः एयरपोर्ट ऑथोरटी ऑफ इण्ड़िया (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट) के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 30.12.2022 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की एयरपोर्ट ऑथोरटी ऑफ इण्ड़िया (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट) द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (**परिशिष्ठ "अ"** में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार **श्री भूपेंद्र सिंह राजपुरोहित (वरदान एनवायरोमेन्ट, गुरुग्राम)**द्वारा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की **संलग्नक ''ब''**के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

1. **श्री सुख लाल जी सिंघवी :–**

   विस्तार के लिए आभार प्रकट करते हुए यह बात रखी की बिल्डिंग निर्माण के लिए उन्हें अनापत्ति पत्र एयरपोर्ट से लेने को कहा जाता है जो क्षेत्र हवाई अड्डे के निर्धारित जोन से बहार आता है वहां पर भी निर्माण के लिए अनापत्ति पत्र लेने को कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से बताये।

   **श्री आर आर मौर्या जीJt. GM(ATC ),AAI Udaipur :–**

   जो भी इमारतें विमान पत्तन प्राधिकरण की द्वारा निर्धारित क्षेत्र में आती है और जिनकी ऊंचाई एक निर्धारित मानक से ऊपर है उसी के लिए इजाजत नहीं है लेकिन 2–3 फ्लोर की ईमारतों के लिए अन्नापति पत्र देने में कोई आप्पत्ति नहीं है।

   **श्री एस के सागर जीJt. GM(Engg-Civil), NR, CHQ,New Delhi :–**

   अभी प्रस्तावित परियोजना टर्मिनल बिल्डिंग सहित सर्विस क्षेत्र एवं आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है इस परियोजना में हवाई पट्टी का कोई विस्तार नहीं किया जा रहा है अतः ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी एवं जो जमीन अधिकृत है उस पर ही यह परियोजना प्रस्तावित की गई है।

   **श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,उदयपुर**

   जिन ग्रामवासियों के समस्या अनापत्ति पत्र से सम्बंधित है और उनका मकान भारतीयं विमान पत्तन प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित जोन से बाहर है उनके दस्तावेज की सूची बनाकर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये एवं भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को यह सुझाव दिया की एक समिति गठित कर उसका जल्द से जल्द समाधान करे।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

2. **श्री ललित जी पालीवाल, सरपंच ग्राम–डबोक :–**

एयरपोर्ट द्वारा पूर्व में कई CSR गतिविधियां की गयी परन्तु ग्राम डबोक में कोई भीCSR गतिविधि नहीं हुई है अतः निवेदन है कि ग्राम डबोक में CSR गतिविधियां प्रस्तावित की जाये जैसे की पेड़ पौधे लगाना, गावों के तालाबों का सौंदर्यकरण करना आदि।

**श्री एस के सागर जीJt. GM(Engg-Civil), NR, CHQ,New Delhi:–**

जो भी CSR गतिविधिया राज्य प्रशासन विभाग से प्रस्तावित की जाएँगी उसके लिए उचित राशि निर्धारित कर भारीतय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जायेगा।

**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटः**–जो भी CSR गतिविधयां प्रस्तावित की जानी है उसकी सूची ग्राम सरपंच राज्य प्रशासन को उपलब्ध कराये जिससे की उन पर अमल किया जा सके।

3. **श्री नानालाल जी उपसरपंच, ग्राम धुनीमाताः–**

जो जमीन अधिकृत की जाती है उसके समीप की कृषि भूमि पर किसान कृषि नहीं कर पाता है एवं विमान के अवतरण एवं उड़न के समय ध्वनि प्रदुषण होता है अतः सबसे जयादा प्रभावित डबोक निवासी होते है अतः आपसे अनुरोध है की रोजगार में ग्रामीणवासियों को योग्यता अनुसार प्राथमिकता देने की कृपा करे।

**श्री एस के सागर जी Jt. GM(Engg-Civil), NR, CHQ,New Delhi:–**

यह परियोजना टर्मिनल बिल्डिंग सहित अन्य अवसंरचनाओं की लिए प्रस्तवित की गई है एवं इसका निर्माण पूर्व में अधिग्रहित जगह में होगा इसके लिए अन्य कोई जमीनं अधिग्रहित नहीं की जाएगी। इस परियोजना में रनवे का विस्तारीकरण प्रस्तावित नहीं है एवं अधिक से अधिक हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा जिससे ध्वनि प्रदुषण को कम किया जा सके एवं प्रस्तावित परियोजना से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे एवं योग्यता के अनुसार ग्रामीण वासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **श्री मानवचन्द गाडिया लौहार.ग्राम डबोक :–**

मुआवजामें सही दाम नहीं मिलता।

**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमान ओ.पी बुनकार जी**

यह प्रश्न इस प्रस्तावित परियोजना से सम्बंधित नहीं है परन्तु जानकारी स्वरुप यह बताना चाहता हूँ कि अब यदि कोई भी जमीन अधिग्रहित होती है तो उसका मुआवजा सरकार द्वारा निर्धारित की गयी नयी दरों के अनुसार दिया जाएगा।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

5. **श्री आसाराम जी, ग्राम देबारीः–,**
भीलों की जमीनं का आजतक मुआवजा नहीं मिला है।

**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटः–** ये प्रश्न इस प्रस्तावित परियोजना से सम्बंधित नहीं है यद्यपि आप लिखित में इसकी जानकारी एवं शिकायत राज्य प्रशासन को उपलब्ध करवाए ताकि इस पर उचित कार्यवाही की जा सके ।

6. **श्रीनाना लाल, उपसरपंचधुनीमाताः–**सबसे जयादा प्रभावित ग्राम दंगियाकोस , करोली , डबोक एवं धुनीमाता है इसलिए आपसे निवदन है कि किसान का ध्यान रखा जाये एवं अनापत्ति पत्र लेने की प्रक्रिया को सरल किया जाये एवं जो जमीन अधिकृत में जानी है उसकी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये एवं ग्राम वासियों के लिए अलग से वर्ग बनाया जाये तद्नुसार ग्रामवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाये।

**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटः–** अनापत्ति लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया जायेगा और जैसा की यह बताया गया है कि इस प्रस्तावित परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर आएंगे जिससे की ग्रामवासियों को लाभ होगा।

**शरद सक्सेना जी क्षेत्रीय अधिकारी,,** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उदयपुर द्वारा सुनवाई मे उपस्थित अन्य ग्रामीणों को भी उनके आक्षेपों/सुझावों हेतु पुनःआमंत्रित किया गया।

अन्त में श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं अक्षेंपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "स" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "द" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला–उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा उदयपुर हवाई अड्डे पर घरेलू संचालन के लिए यात्री टर्मिनल भवन के विस्तार की परियोजना को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने करने हेतु ग्राम– डबोक, तहसील–वल्लभगनर, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 28.06.2023 को 11:00 AM बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम–डबोक, तहसील–वल्लभनगर जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

| क्र.सं. | व्यक्ति का नाम | पता/विभाग का नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | O. P. Bunkar | ADM Udaipur | [signature] |
| 2 | R. R. Maurya | APD, Udaipur | [signature] |
| 3 | Sharad Saksena | RO RPCB Udaipur | [signature] |
| 4 | S. K. SAGAR | Jt. Genl. Mgr, CHQ | [signature] |
| 5 | Bhupendra Singh Rajpurohit | Manager Environment | [signature] |
| 6 | Payal Panchal | SSO RSPCB | [signature] |
| 7 | पुष्कर लाल | दामा जी | [signature] |
| 8 | कुका जी | बाला जी | [signature] |
| 9 | [illegible] | मांगु जी | [signature] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [signature] |
| 11 | [illegible] | सोगर जी | [signature] |
| 12 | लहरू जी | सोना जी | |
| 13 | [illegible] | उमला जी | [signature] |
| 14 | राजु गमेती | शामालाल | [signature] |
| 15 | [illegible] | प्यारा जी | [signature] |
| 16 | कुबेर जी | रूपा जी | [signature] |
| 17 | ओमगिरी | नन्दगिरी | [signature] |
| 18 | भोडु सिंह | नाहर सिंह जी | [signature] |
| 19 | [illegible] पालीवाल | [illegible] | [signature] |
| 20 | महेश पालीवाल | [illegible] | [signature] |
| 21 | [illegible] पालीवाल | [illegible] पालीवाल | [signature] |

| | व्यक्ति का नाम | पता/विभाग का नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| | दिनेश टेलर | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 26 | [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| 27 | [illegible] | [illegible] | |
| 28 | Pushkar Mukherje | [illegible] | |
| 29 | Lokesh Patidar | Lokesh | |
| 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 31 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 32 | [illegible] | पुनुराम जी | [illegible] |
| 33 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 34 | [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| 35 | गोपाल | इंदौर | गोपाल |
| 36 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 37 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 38 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 39 | [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| 40 | [illegible] | GEMC, इंदौर | [illegible] |
| 41 | [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| 42 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 43 | [illegible] | Dabok? | [illegible] |
| 44 | [illegible] | Dabok? | [illegible] |
| 45 | [illegible] | | |
| 46 | [illegible] | | [illegible] |
| 47 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | व्यक्ति का नाम | पता/विभाग का नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | | |
| | [illegible] सोनी | | |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| | [illegible] कुमार [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| | [illegible] | | [illegible] |
| | [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| | [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| | [illegible] | इंदौर | [illegible] |
| | [illegible] | AAI. | [illegible] |
| | विपुल [illegible] | AAI | [illegible] |
| | [illegible] | AAI | [illegible] |
| | [illegible] शर्मा | AAI | [illegible] |
| | [illegible] | AAI | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | Bulendra Kum[illegible] | AAI | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | |
| | | | |
| | | | |

TIMES OF INDIA DATE 27.05.2023
PAGE NO:-19

क्षेत्रीय कार्यालय

# राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ. 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई–मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन न. : 0294–2491290

## पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः– मैसर्स एयरपोर्ट ऑथोरटी ऑफ इण्डिया (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट), ग्राम–डबोक, तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर Expansion of Terminal Building along with service area of Maharana Pratap Airport Dabok, Udaipur by Construction of New Passenger Terminal Building along with service area at Dabok, Udaipur Airport by Airport Authority of India हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एयरपोर्ट ऑथोरटी ऑफ इण्डिया (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट), ग्राम–डबोक, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर प्रस्तावित परियोजना Expansion of Terminal Building along with service area of Maharana Pratap Airport Dabok, Udaipur by Construction of New Passenger Terminal Building along with service area at Dabok, Udaipur Airport by Airport Authority of India का [illegible] राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित, [illegible] है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी [illegible] एस.ओ. 1533 दिनांक [illegible] 2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 [illegible] है।
3. उक्त परियोजना से संबंधित [illegible] निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:–
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय – 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए–216, अरण्य भवन, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वा तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)।
   5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
   6) उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, जिला–उदयपुर।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 3240 द्वितीय तल, उ–प (एसएसओ) [illegible], जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ–470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 26.06.2023 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम–डबोक, तहसील– वल्लभनगर, जिला–उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड–19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध मे लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

दैनिक भास्कर, दिनांक - 27 मई - 2023
पृष्ठ सं - 09

DIPR/C/7605/2023

# क्षेत्रीय कार्यालय

## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन न. . 0294-2491269

### पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः- 'मैसर्स एयरपोर्ट' ऑथोरटी ऑफ इण्डिया (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट), ग्राम-डबोक, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर Expansion of Terminal Building along with service area of Maharana Pratap Airport Dabok, Udaipur by Construction of New Passenger Terminal Building along with serv ice area at Dabok, Udaipur Airport by Airport Authority of India हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एयरपोर्ट ऑथोरटी ऑफ इण्डिया (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट), ग्राम-डबोक, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना Expansion of Terminal Building along with service area of Maharana Pratap Airport Dabok, Udaipur by Construction of New Passenger Terminal Building along with service area at Dabok, Udaipur Airport by Airport Authority of India का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरण्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूँगरी, जयपुर।
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ (उ.प्र.)।
   5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
   6) उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, जिला-उदयपुर।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 28.06.2023 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-डबोक, तहसील- वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, उदयपुर

भूमि प्रदूषण
ठोस अपशिष्ट